कार्यालय जिला पंचायत, एटा

पत्रांकः–870 / नि0–जि0पं0 / 2019–20 दिनॉक – 16.03.2020

सेवा में,

राइट्स लिमिटेड
भारत सरकार का प्रतिष्ठान
13–के0एम0 माइल स्टोन एन0एच0–24
सीतापुर रोड–लखनऊ।

विषयः– जिला पंचायत, सम्पर्क मार्गों पर वक्सं कल्वर्ट एवं संरेखड परिवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आपके पत्र सं0 RITES/RPO-LKO/PO-ETAH/JVUNL/ PKG-2/Vol-I दिनॉक 03.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, सन्दर्भित पत्र के क्रम में सम्पर्क मार्ग कीलरगऊ–नगला निजाम मार्ग से नगला भूड सम्पर्क मार्ग पर वक्सं कल्वर्ट बनाये जाने एवं अलीगंज मार्ग कीलरगऊ से नगला निजाम सम्पर्क मार्ग का कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.200 तक मार्ग का संरेखड परिवर्तन करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र जिला पंचायत, बोर्ड बैठक दिनॉक 22.02.2020 में पारित प्रस्ताव एवं अवर अभियन्ता एवं अभियन्ता की तकनीकी आख्या/राय के अनुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:–

1. उपरोक्त मार्ग पर किसी प्रकार की सामग्री न रखी जाये जिससे यातायात आवागमन में अवरोध उत्पन्न न हो।
2. निर्माण कार्य के दौरान उक्त मार्ग पर कोई क्षति होती है तो आपके द्वारा अपने खर्चे पर ही मार्ग मरम्मत कराया जायेगा।
3. मार्ग के दोनों ओर वर्षा के पानी के निकासी हेतु नाली एवं नाले का निर्माण लोक निर्माण की विशिष्टियों के अनुसार जिला पंचायत के अवर अभियन्ता की देख रेख में अपने खर्चे से कराना होगा।
4. निर्माण कार्य कराने से पूर्व सर्विस रोड बनाई जाये जिससे आवागमन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाऐं की जायें।
5. संरेखड(Aliment) परिवर्तन में मार्ग की फारमेसन की चौडाई 7.5 मी0 एवं लेपित सतह की चौडाई 3.75 मी0 रखी जाये, एवं वर्तमान सम्पर्क मार्ग को बन्द करने से पहले परिवर्तित मार्ग का निर्माण करा लिया जाये।

अतः उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है शर्तों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। जिसके लिये आपका विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, एटा

Ravi Shanker (Rajeev)
Executive Engineer
Civil Construction Division-I
2x660MW JTPP
Malawan-Etah